

# ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. प्रभुदयाल पुत्र हनुमानदास जाति स्वामी निवासी ठीकरिया तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0।

-प्रार्थी

## बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

मुकदमा नम्बर 725/2025  
जीसीएमएस नं0 2025/1397


## आदेश

दिनांक - 14/11/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम ठीकरिया पटवार हल्का ठीकरिया तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 27, 113 में प्रार्थी का गलत दर्ज नाम "प्रभूराम पुत्र हनुमानदास" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "प्रभुदयाल स्वामी पुत्र हनुमानदास" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग समझा जावे।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



  
(राजवीर सिंह यादव)  
राजवीर सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)